

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 319602  
ग्रा0वि0 -6/अभि0-03-08/2017

ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 31/07/17

प्रेषक,

राधा किशोर झा,  
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

उप सचिव,  
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।

विषय:-

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए व्यय हेतु विमुक्त केन्द्रांश (प्रथम किस्त ) की देय सहायक अनुदान की राशि 458.86 लाख (चार करोड़ अठ्ठावन लाख छियासी हजार) रुपये का आवंटन ।

प्रसंग :-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या -310732 दिनांक-18.05.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में कहना है कि जिला ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक- R-17014/1/2017-18 DRDA (Sl.No.03) दिनांक-10.07.2017 द्वारा केन्द्रांश हेतु विहित राज्य बजट शीर्ष मांग संख्या- 42, मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष-101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष-0202-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम) विपत्र कोड संख्या- 42- 2501061010202 विषय शीर्ष- 31 04 सहायक अनुदान वेतन के विरुद्ध जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रांश (60%) प्रथम किस्त के रूप में कुल राशि 458.86 लाख (चार करोड़ अठ्ठावन लाख छियासी हजार) रुपये विमुक्त किया गया है, जिसके आलोक में निम्नांकित विवरणी के स्तम्भ 3 के अनुसार व्यय हेतु राशि का आवंटन किया जाता है:-

रूपये लाख में						
क्र. सं.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का नाम	वर्ष 2017-18 में विमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किस्त की राशि (60%)	बैंक का नाम	खाता संख्या	IFSC No.	बैंक ड्राफ्ट भुगतये
1	2	3	4	5	6	7
1	बाँका	23.84	State Bank of India	11477178900	SBIN0000243	DDC Banka
2	भोजपुर	23.84	Punjab National Bank	1494000100081608	PUNB0149400	उप विकास आयुक्त, भोजपुर, आरा
3	दरभंगा	24.58	Uttar Bihar Gramin Bank	1004901010000215	CBIN0R10001	उप विकास आयुक्त, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दरभंगा
4	गया	24.58	Canara Bank	0257101019372	CNRB0000257	Dy. Development Commissioner, DRDA, Gaya
5	जहानाबाद	20.90	State Bank of India	30397389782	SBIN0000100	उप विकास आयुक्त, जहानाबाद

6	खगडिया	20.90	State Bank of India	11068094842	SBIN0000114	डी.आर.डी.ए., खगडिया
7	लखीसराय	20.90	State Bank of India	30981092877	SBIN0002968	DRDA (DDC) ADMINISTRATION, LAKHISARAI
8	मधेपुरा	23.84	State Bank of India	30504792998	SBIN0003052	DDC-Cum-CEO, DRDA Administration, Madhepura
9	मुंगेर	20.90	Punjab National Bank	0326000100219606	PUNB0032600	Deputy Development Commissioner, Munger
10	नालन्दा	24.58	State Bank of India	301973308732	SBIN0000042	D.R.D.A. Nalanda
11	पटना	24.58	Allahabad Bank	20955806378	ALLA0210705	उप विकास आयुक्त, पटना
12	रोहतास	24.58	Punjab National Bank	0846000100243013	PUNB0084600	उप विकास आयुक्त, रोहतास, सासाराम
13	सहरसा	20.90	State Bank of India	11098096650	SBIN0000172	उप विकास आयुक्त, सहरसा
14	शेखपुरा	20.90	State Bank of India	11373353904	SBIN0006617	D.D.C. SHEIKHPURA
15	शिवहर	16.88	Bank of India	443610200002530	BKID0004436	उप विकास आयुक्त, शिवहर
16	सीतामढ़ी	24.58	Central Bank of India	1586392093	CBIN0280023	उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी
17	सिवान	24.58	State Bank of India	11128366073	SBIN0000187	DRDA, Siwan
18	सुपौल	23.84	State Bank of India	11154751018	SBIN0005998	उप विकास आयुक्त, सुपौल
19	वैशाली	24.58	Allahabad Bank	50149206273	ALLA0210006	DRDA ADMINISTRATION / DDC VAISHALI
20	पश्चिम चंपारण	24.58	State Bank of India	11405957628	SBIN0001764	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पश्चिम चंपारण, बेतिया
कुल-		458.86				

**(कुल आवंटित राशि - (चार करोड़ अठ्ठावन लाख छियासी हजार) ₹ मात्र**

- यह आवंटन विभागीय राज्यादेश संख्या- 310732 दिनांक-18.05.2017 द्वारा विमुक्त राशि एवं संकल्प संख्या- 199847 दिनांक -05.09.2014 के अधीन दिया जाता है ।
- आवंटित राशि मांग संख्या- 42, मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष-101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष-0202-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम) विपत्र कोड संख्या-42-2501061010202 विषय शीर्ष- 31 04 सहायक अनुदान वेतन के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के प्रशासन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकल्पनीय है ।
- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 में निहित निर्देश के अनुपालन में निर्गत किया जाता है तथा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एक मुश्त राशि की अग्रिम निकासी एवं व्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
- उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभाग का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया है। अतः उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा आवंटित राशि (कंडिका-1 की विवरणी स्तंभ-3) की एक मुश्त निकासी करके विभागीय निदेश के आलोक में संबंधित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के संबंधित बैंक खाते (कंडिका-1 की विवरणी स्तंभ 4 से 6) में अंतरित की जाएगी।
- आवंटित राशि के व्यय हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) की मार्गदर्शिका में दिये गये निदेशों तथा निकासी एवं व्यय हेतु वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।
- राशि की निकासी के संबंध में कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि तथा व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी तथा व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।

8. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को भी दी जाती है।
9. इसमें सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(राधा किशोर झा)

सरकार के विशेष सचिव

जापांक:- 319602 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 31/07/17

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना / संबंधित उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

जापांक:- 319602 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 31/07/17

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

जापांक:- 319602 ग्रा0वि0, पटना, दिनांक:- 31/07/17

प्रतिलिपि- श्री चन्द्र शेखर मिश्रा, उप सचिव (डी.आर.डी.ए.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके पत्रांक- R-17014/1/2017-18 DRDA (Sl.No.03) दिनांक-10.07.2017 के प्रसंग में/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी 6 एवं 10 / सांख्यिकी कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ कार्यवाहक सहायक को 10 अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव